

MR. SPEAKER: That is a different thing.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: But in the same statement he said it, I want to know whether he is going to take any stringent action in that regard.

MR. SPEAKER: That is not a point of order.

13.04 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED BAN ON EXPORT OF ONIONS.

श्री द्वामं सिंह भाई पदेश (पोरबन्दर) : उपाध्यक्ष महोदय में लोक सभा के नियम 377 के अन्तर्गत लोक महस्त के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय वाणिज्य मंडी जी का प्याज आकर्षित करना चाहता हूँ—

प्याज (ओनियन) की पदेशों में नियर्यात पर पाबन्दी लगाने से गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के प्याज पैदा करने वाले किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में और इन में विशेष कर उपलेटा, भायावदर, जामजोधपुर, झोराजी, जामकच्छोरणा, कुत्तियाणा, राणाबाद, यांगरोल, पोरबन्दर, भाणावदर, बंचली, लासपुर बरीरह तालुकाओं में प्याज की बड़ी फसल हुई है। ये प्याज पैदा करने वाले किसान को 20 किलोग्राम प्याज पर करीब 4 रुपये की लागत तोड़वं होती है।

अब प्याज बड़े पैमाने पर आजार में आ रही है। अब प्याज हाई और तीन रुपये के भाव से प्रति 20 किलोग्राम बिक रही है और प्रति दिन भाव कम हो रहे हैं, इससे प्याज पैदा करने वाले किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। इस का भूम कारण यह कि भारत सरकार ने प्याज की प्रदेशों में

नियर्यात के लिये पाबन्दी लगाई हुई है। इस वर्ष सिफं 10 हजार टन प्याज की नियर्यात मंजूरी दी गई है, यह बहुत कम है, इसलिये प्याज उत्पादन करने वाले किसानों की ओर से और वेर्से और से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से प्रार्थना है कि प्याज की बड़े पैमाने पर परदेशों में नियर्यात करने की मंजूरी तुरन्त दे कर प्याज पैदा करने वाले गुजरात, सौराष्ट्र और सारे देश के किसानों की रका करे।

प्याज एक नाजुक, कोमल सब्जी है। इस का स्टाक बहुत दिमो तक किसान नहीं रख सकते हैं। विदेशों में भारत की ओर विशेषकर गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश की प्याज की बहुत मांग है। इसलिये इस संस्थित वक्तव्य के अन्त में मैं वाणिज्य मंत्रालय से प्रत्युत्तर देता हूँ कि वे विदेशों से प्याज नियर्यात करने के लिये तुरन्त स्वीकृति दे :

(ii) SERVICE CONDITIONS OF ASSISTANT ENGINEERS ON DEPUTATION FROM C.P.W.D. TO P. & T. DEPARTMENT

श्री भलेहर लाल (कालपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप की आङ्गा से मैं भारत सरकार और सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भागलत रखने जा रहा हूँ। 1963 से सी.पी.डब्ल्यू.टी. के बहुत से एस्सिटेंट इन्जीनियर्स को पी० एण्ड टी० डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पर भेजा गया था। उन्हें वहां पर गये हुए 15 साल के समयमें हो रहे हैं इस बीच मैं न उन्हें कोई प्रभोशण दिया गया है और न ही कोई डेपुटेशन एलाउन्स दिया गया। इस से भी ज्यादा हालत तब बराबर हुई—जब 1963 के बाद जिन लोगों को वहां भेजा गया, उन को डेपुटेशन एलाउन्स भी मिला और प्रभोशण भी मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों का आवध अधिकर में लटका हुआ है। 1963 से लोग बिना किसी प्रभोशण और बिना किसी एलाउन्स के वहां पर काम कर रहे हैं। आज जब हम आम तौर पर इस तरह की शिकायत करते हैं कि हमारे आफिसर्स का काम